UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चम्पावत

☎& Fax No. 05965–230034

E-Mail : eechampawat@rediffm   E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :– 2474/2 सी   दिनांक :– 11/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।

विषयः– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिडाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145468/2021)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक– **8B/UCP/06/09/2023/FC/508** दिनांक 14.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 4 नं0 आपत्तियॉं लगाई गई है जिसके अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

बिन्दु सं0–1– The cost benefit analaysis is required to be provided in the new prescribed formet	लागत लाभ प्रमाण पत्र नये प्रारूप में भर कर ऑनलाइन करते हुए 5 प्रतियों में हार्ड प्रति सलंग्न है।
बिन्दु सं0–2– The tree enumeration is required to be corrected in online part II.	उक्त सूचना आपके कार्यालय द्वारा भरी जानी है।
बिन्दु सं0–3–The State Govt. is requested to comment and revise the proposal in view of point no 2 of this office EDS dated 09.02.2023 vide which it was conveyed that contruction of road beyond point 24 of the geo-referenced digital map does not seems appropriate because all population appears to be connected up to this point of the proposed road.	शा0 सं0 764/III(2)/08-65 (प्रा0आ0)/2007 दिनांक 24.03.2008 द्वारा बिंनवाल गॉव–कलियाधूरा (छिड़ाखान) नाम से मार्ग की स्वीकृति 16.500 किमी0 की प्राप्त हुयी थी, जो कि 16.500 किमी0 के अन्तिम बिन्दु में सिविल व नाप भूमि थी जिसमें वर्तमान में वृक्ष होने के कारण दिनांक 23.09.2020 को आर0ई0 सी0 की बैठक में के0एम0एल0 का परिक्षण करने पश्चात मार्ग की लम्बाई कम करतें हुए बिंनवाल गॉव के तोक छिड़ाखान तक सिमित करने हेतु बैठक में निर्देशित किया गया था छिड़ाखान के आबादी बिंनवाल गॉव के साथ है, डिजिटल मानचित्र में भी पूर्व के मकान व नाप भूमि अंकित है। बिन्दु संख्या 24 तक मार्ग की लम्बाई सीमित करने पर गोलडॉडा तोक (तोला) जो कि 500 मी0 की लम्बाई में है तथा बिंनवाल गॉव तोक (छीड़ाखान) लम्बाई 1700 मी0 में रहने वाली आबादी मार्ग से वंचित रह जायेगी जो कि प्वाइंट न0 24 तक अन्तिम बिन्दु 15.200 किमी0 में रहने वाली आबादी के आवागमन में मार्ग तक पहुचने हेतु 3.200 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 15.200 किमी0 में रहने वाली आबादी को कठिनाई का सामना करना पडेगा, साथ ही मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित रह जायेगें, जिस कारण उक्त क्षेत्र वासियों को पलायन का सामना करना पड़ेगा, अतः उक्त विषय में अनुरोध है कि दिनांक 23.09.2020 को आर0ई0सी0 बैठक में के0एम0एल0 के परिक्षण तथा डिजिटल मानचित्र में पुराने भवन व नाप भूमि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 15.200 किमी0 लम्बाई में आनलाईन किये गये प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें।
बिन्दु सं0–4– A separate tree enumeration list for the area prposed for muck dumping is also required to be provided	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्वावित समरेखण के किनारे जहॉं वृक्ष विहीन स्थल 100 से 150 मीटर की लम्बाई तथा लगभग 5 मीटर की चौड़ाई में उपलब्ध है मलुवा निस्तारण हेतु चयनित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आपतियों के ऑनलाईन निराकरण उपरान्त हार्ड प्रतियॉं 5–5 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सहायक अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

11/08/23
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत
चम्पावत

प्रारूप -22

Name of Project - जनपद चम्पावत के अंतर्गत बिनवलगाँव कलियाधुरा (छेड़ख़ान) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य(किमी० 15.200)

SI.No	Particulars	Amount in Lac	Remarks
1	Total Cost (investment incurred)	**777.73**	
(A)	Construction Cost of the Project	671.73	
(B)	N.P.V.Amount to be deposited @ Lac/hec	94.00	
(C)	Substitude/Alternative Plantation Cost to be Deposited :-	12.00	
	Total	777.73	
2	benefits From taking age of road as 50 Years	**2750.00**	
(A)	Economically Benefit - Market Devlopment Taking	1250.00	
(B)	Direct Employment of Labours	500.00	
(C)	Employment Genration Due to Other activities	100.00	
(D)	There Construction Of Economically Viable and social Benefits	900.00	
	Total	2750.00	

J.E.

A.E.
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत